न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– रोहित कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 79/2019

वादीगण 1. पारसमल पुत्र रिखबचन्द 2. सुबटीदेवी पत्नी स्वं. फतेहचन्द

3. विजयराज पुत्र फतेहचन्द 4. नरेशकुमार पुत्र फतेहचन्द जातियान ओसवाल/छाजेड निवासीयान दलालो का वास बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण 1. धनराज पुत्र रिकबचन्द जाति ओसवाल/छाजेड़ निवासी दलालो का वास बालोतरा तहसील पचपदरा

2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

निर्णय दिनांकः 12.11.2020

उपस्थित –

1. श्री अचलाराम थोरी विद्वान अधिवक्ता, वादीगण की ओर से
2. श्री विक्रम आशिया विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

वादीगण ने न्यायालय में अधिकार घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बालोतरा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खेत खसरा सं. 1045/1262 रकबा 10 बीघा, खसरा सं. 1045/1261 रकबा 10.05 बीघा, खसरा सं. 1045 रकबा 11 बीघा, कुल रकबा 31.05 बीघा आई हुई है, वादी सं. 01 पारसमल तथा 02 ता 04 के हकपुर्वाधिकारी पिता फतेहचन्द तथा प्रतिवादी सं. 01 रिखबचंद के वारिसान है, तथा आपस में सगे भाई रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है, तथा हिन्दु विधि की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है, वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 01 के हकपुर्वाधिकारी रिखबचन्द ने सयुक्त हिन्दु परिवार की आय से तारीख 30.04.1973 को खरीद की, चुंकि वक्त खरीद रिकबचन्द के दोनो बड़े पुत्र पारसमल एवं फतेहचन्द बालिग थे, एवं सबसे छोटा पुत्र प्रतिवादी सं. 01 नाबालिंग एवं परिवार का सबसे छोटा पुत्र था, इस कारण वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 01 के हकपुर्वाधिकारी रिकबचन्द ने वादग्रस्त कृषि भूमि प्यार, स्नेह से अपने छोटे पुत्र प्रतिवादी धनराज के नाम से खरीद दी। भुमि के प्रतिफल की राशि रिखबचंद ने ही अदा की, उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 01 धनराज स्वंय के द्वारा अर्जित की हुई कभी नही रही, क्योंकि प्रतिवादी के पास स्वतंत्र आय का कोई जरीया नहीं था, वक्त खरीद प्रतिवादी सं. 01 नाबालिग था। इस कारण संयुक्त हिन्दु परिवार की खरीदसुदा उक्त भुमि वादगस्त कृषि भूमि में वादी सं. 01 पारसमल का 1/3 हिस्सा, वादी सं. 02 ता 04 का 1/3 हिस्सा, तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 01 का है, इसी अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके पर कब्जा काश्त भी कायम रहा व है, वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हिस्से को आपसी सहमति से हिस्सा अलग कराने का निवेदन किया, तो प्रतिवादी सं. 01 धनराज ने एक दो दिनो में तहसील कार्यालय चलकर हिस्सा अलग कराने का आश्वासन देते रहे, किन्तु हिस्सा अलग नही करवाया, और अततः दिनांक 29.06.2019 को हिस्सा अलग कराने से साफ इंकार कर दिया, जिससे वादीगण के अधिकारो को सुनिश्चित करने के लिये घोषणा का नियमित वाद संस्थित करना आवश्यक हो गया है।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

.....2....

Scanned with CamScanner

वादीगण की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया, प्रतिवादी सं. 1 ने इकबाली जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादी सं. 01 पारसमल, वादी सं. 02 ता 04 के हकपुर्वाधिकारी फतेहचन्द तथा प्रतिवादी सं. 01 धनराज सगे भाई है तथा वादी सं. 01, वादी सं. 02 ता 04 के हकपुर्वाधिकारी फतेहचन्द तथा प्रतिवादी सं. 01 स्वर्गीय रिकबचन्द के वारिसान है जिस समय स्वर्गीय रिकबचन्द जी द्वारा उक्त वादग्रस्त कृषि भुमि खरीद की गई तत्समय प्रतिवादी सं. 01 धनराज नाबालिग था तथा स्नेहवंश उक्त वादग्रस्त कृषि भुमि प्रतिवादी सं. 01 के नाम से खरीद की थी। वादग्रस्त कृषि भुमि में वादी सं. 01 को 1/3 हिस्से का तथा वादी सं. 02 ता 04 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, तो प्रतिवादी सं. 01 धनराज को कोई आपति नहीं है

हमने उपस्थित अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की बहस सुनी, पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, जमाबंदी खतौनी एवं नक्शा किश्तवार, अन्य दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया ।

विद्धान अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौराने बहस दोहराते हुए तर्क दिया कि, माफिक इस्तदुआ वाद पत्र वादी स्वीकार कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे, जिस पर प्रतिवादी सं. 1 ने पुर्ण सहमति में दी है।

चुंकि वादी का वाद पत्र स्वीकार कर वादी सं. 01 पारसमल को 1/3 हिस्से, तथा वादी सं. 02 ता 04 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, तो प्रतिवादी सं. 01 धनराज को कोई आपति नहीं है, उक्त संस्वीकृति के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार करना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर सरहद मौजा बालोतरा पटवार हल्का बालोतरा प्रथम की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खेत खसरा सं. 1045/1262 रकबा 10 बीघा, खसरा सं. 1045/1261 रकबा 10.05 बीघा, खसरा सं. 1045 रकबा 11 बीघा, कुल रकबा 31.05 बीघा में वादी सं. 1 पारसमल को 1/3 हिस्से का, वादी सं. 2 ता 06 को 1/3 हिस्से का तथा शेष 1/3 हिस्से का प्रतिवादी 01 का खातेदार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड़ में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान् खर्चा अपना अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.),
बालोतरा
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज खुले न्यायालय में तारीख 12.11.2020 को सुनाया गया ।

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.),
बालोतरा
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'1)

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर S.D.O **मुकाम** बालोतरा
बइजलास – पीठासीन अधिकारी– रोहित कुमार आर.ए.एस

वादीगण 1. पारसमल पुत्र रिखबचन्द 2. सुबटीदेवी पत्नी स्वं. फतेहचन्द
3. विजयराज पुत्र फतेहचन्द 4. नरेशकुमार पुत्र फतेहचन्द जातिओसवाल/छाजेड निवासीयान दलालो का वास बालोतरा

बनाम -

प्रतिवादीगण 1. धनराज पुत्र रिकबचन्द जाति ओसवाल/छाजेड़ निवासी दलालो का वास बालोतरा तहसील पचपदरा
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

दावा बाबत अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा व्यादेश

मुकदमा नं. राजस्व मूल वाद संख्या 79 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे ब हाजरी वादीगण **मिनजानिब मुद्दई** वकील श्री अचलाराम थोरी व **मिनजानिब प्रतिवादीगण मुदायलाह** विकम आशिया ओर से **हुक्म दिया जाता है कि** सरहद मौजा बालोतरा पटवार हल्का बालोतरा प्रथम की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खेत खसरा सं. 1045/1262 रकबा 10 बीघा, खसरा सं. 1045/1261 रकबा 10.05 बीघा, खसरा सं. 1045 रकबा 11 बीघा, कुल रकबा 31.05 बीघा में वादी सं. 1 पारसमल को 1/3 हिस्से का, वादी सं. 2 ता 06 को 1/3 हिस्से का तथा शेष 1/3 हिस्से का प्रतिवादी 01 का खातेदार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड़ में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 **माह** 11 **सन्** 2020 **को जारी की गई।**

मुहर [stamp: सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा]

दस्तखत
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner